[भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II खण्ड 3 उप-खण्ड-(i), में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 05 अगस्त, 2010

अधिसूचना

सा.का.नि(अ)........................संविधान के अनुच्छेद 309 तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श के पश्चात्, राष्ट्रपति, संघ के मामलों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा और सिविल पदों में पे बैंड-1 और पे बैंड-2 में आशुलिपिक के पदों पर सीधी भर्ती होने वालों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताओं को विनियमित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, *अर्थात्:-*

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –(1) इन नियमों को पे बैंड-1 और पे बैंड-2 में केन्द्रीय सिविल सेवा और सिविल पद, आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं) नियमावली, 2010 कहा जाएगा ।

(2). ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रयुक्ति :- ये नियम केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा और सिविल पदों में पे बैंड-1 और पे बैंड-2 के ग्रेड में आशुलिपिक सभी पदों पर लागू होंगे जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाती है ।

3 आशुलिपिकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं – केन्द्रीय सिविल सेवा के पे बैंड-1 में अथवा पे बैंड-2 में आशुलिपिकों ग्रेड के पदों से संबंधित किसी भर्ती नियम में समाविष्ट किसी विषयवस्तु और पदों के बावजूद, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की पद्धति द्वारा आशुलिपिकों के ऐसे पदों में नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं निम्नानुसार होंगी :-

"(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास अथवा समकक्ष अर्हता;

(ii) कौशल परीक्षा मानक:

(क) पे बैंड-1 में आशुलिपिकों हेतु

श्रुतलेखन: 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की दर से ।

प्रतिलेखन: कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी)"।

(a) पे बैंड-2 में आशुलिपिकों हेतु:

श्रुतलेखन: 10 मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की दर से ।

प्रतिलेखन: कम्प्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी), 55 मिनट (हिन्दी)।

[फाइल सं.एबी.14017/08/2010-स्था.(आरआर)]

(ममता कुन्द्रा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।

सं.एबी.14017/08/2010-स्था.(आरआर) 05 अगस्त, 2010

सेवा में

1. राष्ट्रपति-सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. उप-राष्ट्रपति-सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री-कार्यालय, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
6. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध कार्यालय ।
11. स्थापना अधिकारी और सचिव, एसीसी(10 प्रतियां)।
12. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सभी अधिकारी और अनुभाग ।
13. सचिव, कर्मचारी-पक्ष, राष्ट्रीय परिषद(जेसीएम), 13-सी, फ़ीरोज़शाह रोड, नई दिल्ली ।
14. राष्ट्रीय परिषद(जेसीएम) के सभी कर्मचारी-सदस्य ।
15. विभागीय परिषद(जेसीएम), कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी कर्मचारी-सदस्य ।
16. स्थापना(आरआरप्रभाग)(200प्रतियां)

(ममता कुन्द्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार